न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के.सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2371–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील नौगॉव, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 27/अ–3/2012–13.

.....

ललितमोहन चौरसिया पुत्र खूबचन्द्र चौरसिया,
निवासी सुभाष रोड, नौगॉव, तहसील नौगॉव,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन,
2–श्रीमती नीतू पत्नी हरीश तिवारी,
3–श्रीमती दीप्ती पत्नी नरेन्द्र सिंह यादव,
दोनों निवासीगण नौगॉव, तहसील नौगॉव,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी एवं श्री के0डी0दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 शासन
श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 व 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 15–06–2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, तहसील नौगॉव, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 2 नीतू पत्नी हरीश तिवारी एवं अनावेदिका कमांक 3 श्रीमती दीप्ती पत्नी नरेन्द्र सिंह यादव द्वारा तहसीलदार नौगॉव, जिला छतरपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके संयुक्त स्वामित्व की भूमि मौजा दौरिया तहसील नौगॉव, जिला छतरपुर स्थित सर्वे कमांक 105/2 एवं 107/2 रकवा कमशः 0160 आरे एवं 0.160 आरे कुल रकवा 0.320 आरे है । वे उक्त भूमि का मौके पर कब्जे के अनुसार नक्शे में लालस्याही से तरमीम कराना चाहती है, अतः मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम की जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ–3/2012–13 दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक, नौगॉव से तरमीम प्रस्ताव मॉगा गया । राजस्व निरीक्षक, नौगॉव, छतरपुर द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का स्थल निरीक्षण किया जाकर तरमीम प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–03–2013 को आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव के अनुसार तरमीम स्वीकृत किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि राजस्व निरीक्षक से तद्नुसार नक्शे में पुख्ता तरमीम कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये । तत्पश्चात प्रकरण समाप्त हो। तहसीलदार के इसी आदेश दिनांक 26–3–2013 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शा संशोधन करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होकर कलेक्टर को है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किए जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में न तो उद्घोषणा जारी की गई है, और न ही आवेदक को पक्षकार बनाया गया है, जबकि आवेदक हितबद्ध पक्षकार है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी में एक सप्ताह के अन्दर बिना उद्घोषणा जारी किये, बिना आवेदक को पक्षकार बनाये एवं

बिना जांच किए आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम किए जाने से आवेदक के स्वामित्व की भूमि प्रभावित हुई है, ऐसी स्थिति में आवेदक को पक्षकार बनाये बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित आदेश विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की भूमि सर्वे नम्बर 107/1/2 एवं सर्वे नम्बर 107/3 है, जिसका विधिवत सीमांकन पूर्व में हो चुका है, ऐसी स्थिति में भी आवेदक के हितबद्ध पक्षकार होने से उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदिका कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अन्तिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत राजस्व निरीक्षक से जांच कराई जाकर प्रस्ताव मांगा गया है, और राजस्व निरीक्षक द्वारा वैधानिक प्रकिया अपनाते हुए जांच की जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त प्रस्ताव को मान्य कर तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरीमीम स्वीकृत करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 2 एवं 3 की भूमियों का नक्शे में तरमीम होने से आवेदक की भूमि प्रभावित नहीं हुई है, और उनके द्वारा इस न्यायालय में भी स्पष्ट नहीं

किया गया है कि अनावेदिका कमांक 2 एवं 3 की भूमि के नक्शे में तरमीम होने से उनकी भूमि किस प्रकार प्रभावित हुई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अन्तिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, यद्यपि तहसीलदार द्वारा आदेश का पालन कर प्रतिवेदन चाहा गया है, तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होने का उल्लेख है, परन्तु उक्त उल्लेख मात्र से तहसीलदार का आदेश अन्तरिम मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाना शेष नहीं है । अतः तहसीलदार के अन्तिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है । तहसीलदार द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, अतः यह निगरानी इसी कारण से निरस्त किए जाने योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक से तरमीम प्रस्ताव मांगा गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 21–3–2013 को मौके पर स्थल निरीक्षण कर तरमीम प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । उक्त तरमीम प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–3–2013 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर प्रश्नाधीन भूमियों की तरमीम स्वीकृत की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । जहां तक आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि संहिता की धारा 107 के

अन्तर्गत नक्शे में तरमीम करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है । इस सम्बन्ध में 1987 आर.एन. 118 नारायण तथा एक अन्य विरूद्ध जगदीश प्रसाद में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 107, 115 तथा 116–चकबन्दी कार्यवाही में बनाया गया नक्शा–शुद्धिकरण–संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है–चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात–ऐसे राजस्व कागजात शुद्ध करने के लिए तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी है ।"

इसी प्रकार 1997 आर.एन. 189 विजय कोठारी विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा एक अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 107, 114 तथा 116–नक्शे धारा 114 के अधीन तैयार किये जाते हैं–वे भू–अभिलेख होते हैं–उनमें तहसीलदार द्वारा धारा 116 के अधीन सुधार किए जा सकते हैं ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित नहीं ठहराया जा सकता है, अतः इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किया जाता है । जहां तक उनके इस तर्क का प्रश्न है कि नक्शे में तरमीम से आवेदक की भूमि प्रभावति हुई है, इस कारण वह हितबद्ध पक्षकार था, परन्तु तहसीलदार द्वारा उन्हें बिना पक्षकार बनाये और बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तर्क के दौरान आवेदक के विद्वान अभिभाषक इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि अनावेदिका कमांक 2 एवं 3 की भूमि के सम्बन्ध में नक्शे में हुई तरमीम से उनकी भूमि किस प्रकार प्रभावित हुई है और वे प्रकरण में किस

प्रकार से हितबद्ध पक्षकार हैं । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नौगांव जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर